रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2014/आषाढ़ 13, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57

No. 87] DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2014/ASHADHA 13, 1936 [N.C.T.D. No. 57

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2014

सं.फा.18/50/2013/विविध/आरआर/डी(एलएमवी)/सा.प्र.वि./प्रशा./903.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम(आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में स्टाफ कार चालक सामान्य ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति और आवश्यक योग्यताओं संबधी नियमों वाली इस सरकार की दिनांक 29.10.1986 की अधिसूचना संख्या 2/30/86–सेवा–II/में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में कॉलम संख्या 4, 6 एवं 12 (कॉलम संख्या का विवरण) के समक्ष निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

कॉलम संख्या 4 (वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान)	:	पीबी–1 (5200–20200/–रुपये)+ ग्रेड वेतन 1900/–रुपये
कॉलम संख्या 6 (सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा)	:	18–27 वर्श
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	रिक्ति वाले कार्यालय में ग्रेड पे 1800/–रुपये सहित पे बैंड–1 में 5200–20200/रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षो का अनुभव रखने वाले तथा हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस रखने वाले समूह–ग कर्मचारियो में से, बशर्ते कि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

मुकेश कुमार शर्मा, उप–सचिव (सा.प्र.वि.)

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 2014

No. 18/50/2013/Misc./RR/D(LMV)/GAD/Admn./903.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendments in this Government's Notification No.F.2/30/86-S.II, dated 29.10.86 containing the rules regarding the method of recruitment and qualification necessary for appointment to the post of Staff Car Driver ordinary Grade, in the General Administration Department of this Government.

Amendments

In the Schedule to the said notification against column No. 4, 6 & 12 (description of Col. No.), the following shall be substituted, namely:-

Col. No. 4 (pay band and grade pay/pay scale)-	PB-I (Rs. 5200-20200) + Grade pay Rs. 1900
Col. No. 6 (age limit for direct recruits)-	18-27 years
Col. No.12 (in case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made)	From among Group-C employees with 03 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Scale of pay of Rs. 5200-20200 in pay band-I with Grade pay of Rs. 1800 having driving Licence of Light Motor Vehicle in the Office in which the vacancy arises subject to passing a skill test to be conducted by Transport Department, Govt. of NCT of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
MUKESH KUMAR SHARMA,
Dy. Secy. (GAD)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2014

स.फा./डीएसआईआईडीसी/11-8/स्था./547-557.– दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम, 2010 की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (क) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर या भारत में कहीं भी स्थित दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड (एक सरकारी उपक्रम) से संबंधित या द्वारा पट्टे पर लिए गये स्थान के संबंध में उक्त अधिनियम प्रयोजन के लिये श्री गुरूचरण सिंह, मंडलीय प्रबंधक (विधि), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम को सक्षम प्राधिकारी/संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं । उक्त अधिकारी दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड (एक सरकारी उपक्रम) के सरकारी स्थान के बारे में क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के लिये उक्त अधिनियम द्वारा या अधीन संपदा अधिकारी को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगें। यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
के. महेश, विशेष आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 2014

No. DSIIDC/II-8/Estt./547-557.— In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 14 of the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010, Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Gurcharan Singh, Divisional Manager (Legal), DSIIDC as Competent Authority/Estate Officer for the purpose of the said Acts in respect of premises belonging to or taken on lease by the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (A Government Undertaking) situated within National Capital Territory of Delhi, or situated elsewhere in India. The said Officer shall exercise the power and perform the duties imposed, on Estate Officer, by or under the said Acts for local limits of jurisdiction, in respect of the Public Premises of Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (A Government Undertaking). This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital
Territory of Delhi,
K. MAHESH, Spl. Commissioner of Industries

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2014

सं.फा. 21(68)/आरआर–इंस्ट./मैथ्स/2008– प्रशि. प्रशा./604.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 07.1.1976 की अधिसूचना संख्या फा. 2(8)/75–से.–II/के अनुसार प्रकाशित प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में अनुदेशक गणित के पद से संबंधित भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान अनुदेशक के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने के लिये इसके द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान अनुदेशक भर्ती नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।

   (ii) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से लागू समझी जाएगी।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन /वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

   (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है,

   या

   (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

   वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. **बचाव**:– इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	कार्यशाला गणना एवं विज्ञान अनुदेशक
2.	**पदों की संख्या**	:	62* (2014) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	'ख' वर्ग, सामान्य केन्द्रीय सेवा अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान**	:	वेतन समूह –2, (9,300–34,800 रुपये) ग्रेड वेतन 4,200 रुपये
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीपः–** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि (ii) अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के पश्चात् अध्यापन/किसी ख्याति प्राप्त उद्योग में एक वर्ष का अनुभव अथवा (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा (ii) अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के पश्चात् अध्यापन/किसी ख्याति प्राप्त उद्योग में दो वर्ष का अनुभव **टीप 1:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप–2** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति: 1. वित्त आयुक्त, दिल्ली सरकार –अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव –सदस्य

			3. संयुक्त निदेशक (योजना विभाग, दिल्ली सरकार) –सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
वी. पी. राव, निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 2014

F.No. 21(68)/RR-Instt./Maths/2008-Trg.Admn/ 604.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules relating to the post of Instructor Mathematics published vide Notification No. F.2 (8)/75-S.II,Dated 07-01-1976, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Workshop Calculation and Science Instructor in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely: -

1. **Short title and commencement**.- (i) These rules may be called the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Workshop Calculation and Science Instructor, Recruitment Rules,2014.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, its classification and pay band and grade pay / scale of pay**.- The number of said post, its classification and pay band and grade pay /scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc**.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.- No person,-**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
   shall be eligible for the appointment to the said post:
   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex – Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3752 DG/14-2

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Whether Selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Workshop Calculation and Science Instructor	62* (2014) *Subject to variation dependent on workload	GCS, Group – B Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB – 2 Rs. 9300 to 34800 (Grade Pay Rs. 4200)	N.A

Age limits for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not exceeding 30 Years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government, Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradash, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahul & Spiti Distt. and Pangi Sub-Division of Chamba Distt of Himachal Pradash, Andaman & Nikobar Islands or Lakshadweep)	**Essential:** (i) Degree in Mechanical Engineering from a recognized University (ii) one-year experience in teaching/ working in a repute industry after acquiring the requisite qualification OR (i) Three years Diploma in Mechanical Engineering from a recognized Board / Institution (ii) Two years experience in teaching/ working in a repute industry after acquiring the requisite qualification Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Schedule Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to be filled up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a DPC exists , what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By Direct Recruitment	Not Applicable	Group- "B" Departmental Confirmation Committee 1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi – Chairman 2. Administrative Secretary of the Department – Member 3. Joint Director (Planning, GNCTD) – Member	Consultation with UPSC not necessary

By order and in the name of
Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi,

V.P.RAO, Director, TTE

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.